प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़ **दिनांक:- 27.06.2022**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार मीणा व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में श्री अमोद कुमार सिंह प्र0नि0 थाना मऊदरवाजा व श्री विनोद कुमार शुक्ला प्र0नि0 कोतवाली फर्रूखाबाद की संयुक्त टीम द्वारा शासन द्वारा संगठित अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.06.2022 को कोतवाली फर्रूखाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-899/21 धारा- 3(1) उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 04.04.2022 को वाद संख्या 8/22 अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम अनुपम दुबे आदि के अनुपालन में गिरोह बन्द निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियुक्त गणों द्वारा संगठित रूप से गिरोह बनाकर अपराध के जरिए अर्जित की गई सम्पति **श्री गुरु शरणम पैलेस होटल** फर्रूखाबाद जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹4.5 करोड़ है, को विधिक मुनादी कराकर कुर्क किया गया। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में श्रीमती श्रद्धा पाण्डे तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद को उपरोक्त सम्पति की रिसीवर नियुक्त किया गया हैं, उनके द्वारा उपरोक्त संपत्ति को नियमानुसार अपने कब्जे में लिया गया। उपरोक्त वाद से सम्बन्धित अभियुक्तगण द्वारा अपराध से अर्जित की गयी अन्य सम्पत्तियां जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹20 करोड़ है पूर्व में ही तहसीलदार सदर महोदय द्वारा कुर्क की जा चुकी है। उपरोक्त सम्पत्तियों को कुर्क किये जाने के उपरान्त उनका चिन्हांकन कर उदघोषणा पट्ट लगवाये गये। अभियुक्त गणों द्वारा अपराध कर अर्जित की गई अन्य सम्पत्तियों के बारे में भी छानबीन की जा रही है।